न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज.)

पीठासीन अधिकारी रवि वर्मा (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

दावा संख्या–63/2019 (13/2017)
वाद प्रस्तुति दिनांक–25.01.2017
निर्णय दिनांक–28.09.2022

1. हीरा पुत्र गणेश जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम जयकिशनपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (मृतक)
1/1. छोटी देवी पत्नि हीरा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम जयकिशनपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
1/2. रामनारायण दत्तक पुत्र हीरा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम जयकिशनपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक

वादीगण

बनाम

1. गोविन्दी पुत्री बजरंगा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम जयकिशनपुरा तह0 पीपलू हाल निवासी ग्राम डांगरथल तह0 निवाई जिला टोंक (राज0)
2. सोनू पुत्र रमेशचन्द जाति अग्रवाल/महाजन निवासी झिलाय रोड निवाई जिला टोंक (राज0)
3. उपखंजीयक पीपलू
4. तहसीलदार पीपलू
5. सुरेन्द्र पुत्र कैलाश जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम जयकिशनपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
6. रेखा पत्नि भूदेवशंकर जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम जयकिशनपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
7. मुकेश पुत्र रामनारायण जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम जयकिशनपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक

प्रतिवादीगण

अधिवक्ता वादीगण–श्री विवेक चौधरी
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01, 05 व 06–श्री राजाराम चौधरी
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 02–श्री गिरधर सिंह तंवर व श्री कजोड़ गुर्जर
श्री जे.के. जैन, श्री शंकरलाल चौधरी व श्री प्रयूष जैन
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 07–श्री नन्दकिशोर शर्मा

दावा बाबत् उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में न्यायालय राजस्व अधिकारी, टोंक के अपील संख्या 79/2015 में निर्णय दिनांक 20.12.2016 द्वारा प्रतिप्रेषित की जाकर पक्षकारों को मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् उभयपक्ष की बहस सुनकर विधि सम्मत् निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया गया है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत् उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा अनुसार भूमि आराजी ख0न0 251, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 481, 482, 583, 584, 585, 586, 587, 603, 407, 605, 701, 706, 782, 837, 892, 984, 1026 कुल किता

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

रकबा 43–19 बीघा वाके ग्राम जयकिशनपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। जिसका वादी एक खातेदार काश्तकार है। जिस पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। उपरोक्त वर्णित भूमि पूर्व में तुलसा बेवा बिरधा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम जयकिशनपुरा तह0 पीपलू के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। तुलसा बेवा बिरधा वादी की चाची लगती थी। जिसके कोई वारिसान नहीं थे। वारिसान नहीं होने के कारण तुलसा वादी के पास ही रहती थी। वादी ही तुलसा व तुलसा के पति बिरधा की सेवा सुश्रुषा करता था। तुलसा व बिरधा के अन्तिम संस्कार व हिन्दू रिति रिवाजनुसार क्रियाक्रम भी वादी द्वारा ही सम्पन्न किये गये थे तथा पगडी दस्तुर भी वादी के हुआ था। इस प्रकार वादी की मृत्तका तुलवा बेवा बिरधा की समस्त चल अचल सम्पति का वारिस था। तुलसा की मृत्यु के पश्चात से लेकर आज दिन तक तुलसा बेवा बिरधा द्वारा छोडी गई भूमि पर वादी ही काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि का स्वामी मात्र वादी था। लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 ने चालाकी पूर्वक वादी के अनपढ़ व नासमझ होने के कारण राजस्व कर्मचारियो से मिलकर उपरोक्त भूमि का नामान्तकरण 1/2 हिस्से का अपने नाम खुलवा लिया। जबकि उपरोक्त भूमि से प्रतिवादी संख्या 01 का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में 1/2 हिस्सा बिना अधिकार के चालाकी पूर्वक अपने नाम करवा लिया। जो अवैध है। जिसको खारिज किया जाकर वादी को सम्पूर्ण भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। प्रतिवादी संख्या 01 अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित होने का नाजायज फायदा उठाकर कब्जे के अभाव में ही उक्त भूमि के 1/2 हिस्से को प्रतिवादी संख्या 02 को विक्रय कर दिया है। ऐसा विक्रय पत्र कानून की नजर में शून्य है। जिससे प्रतिवादी संख्या 02 को किसी प्रकार का वादग्रस्त आराजी में अधिकार प्राप्त नहीं होता है। उक्त भूमि के 1/2 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 02 का भी कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। बल्कि आज दिनांक तक वादी का ही कब्जा बदस्तुर चला आ रहा है तथा मौके पर फसल काश्त कर रखी है। प्रतिवादी संख्या 02 का कब्जा नही होने पर भी केवल अपने नाम अवैध अंकन होने का नाजायज फायदा उठाकर वादी कोक उक्त भूमि के 1/2 हिस्से से बेदखल कर भूमि व खडी फसल को हडपने पर आमादा है। जिसका प्रतिवादीगण को कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड में अवैध अंकन के आधार पर प्रतिवादी संख्या 02 उक्त भूमि को रहन, दान, बेचान करने पर आमादा है। जिसके लिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। प्रतिवादी संख्या 01 ने राजस्व रिकॉर्ड में अवैध नुमाईशी रूप से अपने नाम खातेदारी का इन्द्राज होने का नाजायज फायदा उठाकर चुपचाप बिना भौतिक कब्जे के उक्त भूमि को दिनांक 16.07.2014 को प्रतिवादी संख्या 02 के हक में फर्जी व बनावटी विक्रय पत्र तहरीर करवाकर पंजीकृत करवा दिया है। जिसका प्रतिवादी संख्या 01 को कोई वैधानिक अधिकारी नहीं है। क्योंकि प्रतिवादी संख्या 01 का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नही रहा था। इसक कारण प्रतिवादी संख्या 02 को भौतिक कब्जा अन्तरण करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इस प्रकार भूमि का बैचान प्रारम्भतः ही अवैध व शून्य हैं एवं वादी के हितो पर बेअसर है। ऐसे अवैध विक्रय पत्र से प्रतिवादी संख्या 02 को किसी तरह के टिनेन्सी राईट उत्पन्न नही होते है। दोराने वाद प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा अपने हक में हुए इन्द्राज के आधार पर क्रेतागण प्रतिवादी संख्या 05, 06 के हक में भूमि आराजी ख0न0 251 वाके ग्राम

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

है। प्रतिवादी संख्या 01 ने प्रतिवादी संख्या 02 को जरिये रजि0 विक्रय पत्र भूमि का बेचान कर भूमि कब्जा सुपुर्द किया है। प्रतिवादी संख्या 02 सद्भावी क्रेता है। जिसने प्रतिवादी संख्या 01 को प्रतिफल राशि अदा कर भूमि का कब्जा व स्वामित्व प्राप्त किया है। वादी का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा। दावे के साथ उसके कब्जे के बारे में कोई भी साक्ष्य दस्तावेज के रूप में संलग्न नही किये है। उसका कब्जा होने का कथन गलत है। स्वीकार नहीं है। बिना कब्जे के घोषणा का दावा चलने योग्य नहीं है। प्रतिवादी संख्या 01 रिकॉर्डेड खातेदार काबिज, काश्तकार थी। जिसका मौके पर कब्जा था। इस कारण उसने अपना 1/2 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 02 को विक्रय पत्र कर कब्जा सुपुर्द कर दिया। प्रतिवादी संख्या 02 सद्भावी क्रेता एव काबिज काश्तकार है। जिसको उक्त भूमि का नामान्तकरण तस्दीक करवाने, खातेदारी दर्ज करवाने तथा हर प्रकार से ट्रांसफर तथा उपयोग उपभोग करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। जिसे रोका नहीं जा सकता। दिनांक 16.07.2014 का विक्रय पत्र किसी प्रकार फर्जी या बनावटी या शून्य नहीं है। वाद का उस विक्रय पत्र से व विवादित भूमि से कोई हित निहित नहीं है। वादी का दावा झूठे व मनगढ़ंत काल्पनिक कथनो के आधार पर है। जो एक अनावश्य तुच्छ प्रकृति का दावा है। विक्रयपत्र दिनांक 16.07.2014 को इस न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता न ही शून्य घोषित किया जा सकता है। जब तक सिविल न्यायालय द्वारा विक्रय पत्र निरस्त नहीं कर दिया जाता है। तब तक इस न्यायालय के समक्ष उक्त उनवानी वाद चलने योग्य नहीं है। उक्त विवादित आराजीयात का प्रतिवादी संख्या 02 ही वास्तविक रूप से मालिक, खातेदार काबिज काश्तकार है। जिसको रहन, दान, बेचान का पूर्ण अधिकार है। उक्त अधिकारों के तहत् प्रतिवादी संख्या 02 ने प्रतिवादी संख्या 05, 06 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान किया है। जो सही है। कृषि भूमियो के रजि0 विक्रय पत्र को राजस्व न्यायालय द्वारा अकृत/शून्य घोषित किये जाने का क्षैत्राधिकार नहीं है। क्योंकि यह कार्य केवल सक्षम सिविल न्यायालय का है। अनुतोष विधि द्वारा वर्जित है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 31 के अनुसार यह अधिकार राजस्व न्यायालय को अभी प्रदत्त नहीं किये गये है। यह अनुतोष विधि द्वारा वर्जित है। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन हैं कि दावा वादी तथा वादी द्वारा वांछित अनुतोष विधि द्वारा वर्जित होने के कारण मय हर्जा खर्चा अस्वीकार कर खारिज फरमाया जावे।

वादपत्र, जवाब वादपत्र तथा उभयपक्षों के अभिवचनो के आधार पर निम्नानुसार विवाद्यक बिन्दु कायम किये गये। जो इस प्रकार हैः—

1. आया वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् खाता संख्या 349 कुल किता 26 कुल रकबा 43—19 बीघा वाके ग्राम जयकिशनपुरा का प्रतिवादी संख्या 02 का नाम हटाया जाकर 1/2 हिस्से का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाने का अधिकारी है एवं प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने का अधिकारी है। **वादीगण**
2. आये दोराने वाद प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा प्रतिवादी संख्या 05, 06 के हक में किया गया विक्रय पत्र दिनांक 03.07.2020 वादी के हितो के प्रति प्रभावशून्य है और वादी के विक्रयपत्र को अकृत एवं शून्य घोषित करवाने का अधिकारी है। **वादीगण**

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

आया प्रतिवादीगण वर्णित भूमि प्रतिवादी संख्या 01 की थी। जिससे जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.07.2014 को क्रय कर मौका पर कब्जा प्राप्त कर आज तक काश्त चले आ रहे है। विक्रय पत्र रजिस्टर्ड है। सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त कराये बिना वादी को खातेदार घोषित नही किया जा सकता है। दावा प्रतिवादीगण को परेशान करने की नियत से परेशान किया है। अतः दावा खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादीगण

4. आया विक्रय पत्र तत्कालीन खातेदार से करवाकर प्रतिवादी संख्या 02 ने खातेदारी प्राप्त की है। प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा प्रतिवादी संख्या 05 व 06 को किया गया बेचान सही है। विक्रय पत्र को अकृत एवं शून्य घोषित किये जाने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त न होकर सिविल न्यायालय को प्राप्त है।

प्रतिवादी संख्या 02

विवाद्यक बिन्दू कायम कर वादी की साक्ष्य ली गई। वादी रामनारायण दत्तक पुत्र हीरा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम जयकिशनपुरा ने अपने शपथ पत्र पी.डब्ल्यू–1 की जिरह में कथन किया कि "यह कहना गलत है कि मेरे पिताजी का नाम श्रीराम हैं। बल्कि मेरे पिताजी का नाम हीरालाल है। यह कहना सही हैं कि मेरे दादा का नाम गणेश है। यह सही है कि गणेश के दो लडके हीरा और बजरंगा हुए थे। यही सही हैं कि हीरा अपने पिता गणेश की जमीन पर काबिज है। साथ ही बिरदा की जमीन पर भी काबिज है। यह कहना गलत है कि यह गणेश की जमीन का दावा है। बल्कि यह दावा गणेश व बिरदा दोनो की जमीन पर है। यह कहना गलत हैं कि गणेश की जमीन बजरंगा के आयी थी। बजरंगा, रामनाथ के गोद चला गया था। इसलिए बजरंगा के रामनाथ की जमीन आयी थी न की गणेश की। यह कहना गत है कि बजरंगा की जमीन का गोविन्दी के जाना सही हो। बल्कि गलत हैं। गोविन्दी के द्वारा बेचान किया जाना भी गलत है। उक्त जमीन गोविन्दी के नही जानी चाहिए थी। इसलिए गोविन्दी द्वारा सोनू को किया गया बेचान गलत है। यह कहना गलत हैं कि हम 1/2 जमीन पर काबिज है। बल्कि हम सम्पूर्ण जमीन काबिज है। यह कहना गलत हैं कि मेरी व सोनू की जमीन अलग अलग हो। बल्कि एकजाई जमीन है। यह कहना गलत हैं कि मैं हीरा का वारिस नहीं हूँ। बल्कि मैं हीरा का वारिस हूँ। यह कहना गलत है कि इस जमीन से मेरा कोई लेना देना न हो और झूठा दावा किया हो। यह कहना गलत हैं कि रेखा व सुरेन्द्र द्वारा की गई रजिस्ट्री सही हो। बल्कि फर्जी है। गलत है। इसमें (जमीन में) मेरा ही लेना देना हैं तथा मेरा ही कब्जा है।" बद्री पुत्र सुवालाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम जयकिशनपुरा ने अपने शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–2 की जिरह में कथन किया कि "गणेश के दो पुत्र हिरा व बजरंगा था। यह कहना गलत है कि गणेश व बिरदा की जमीन पर हिरा काबिज नहीं था, बल्कि काबिज था। इसके बाद रामनारायण काबिज है। यह कहना गलत है कि रामनारायण इसमें काबिज नही हो। बल्कि यही काबिज है। मैंने रामनारायण के अलावा कभी किसी को काश्त करते नहीं देखा। मैने सोनू को कभी काश्त करते नहीं देखा। गोविन्दी ने सोनू के रजिस्ट्री करवायी हो तो मुझे पत्ता नहीं है और करवायी हो तो गलत है।" रामअवतार बोहरा पुत्र हरजी बोहरा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम जयकिशनपुरा ने अपने शपथ पत्र पी.डब्ल्यू–3 की जिरह में कथन किया कि "यह कहना सही हैं कि गणेश

उप ...
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

लड़के थे। बजरंगा व हीरा। यह कहना सही है कि गणेश की जमीन पर दोनो भाई काबिज थे। लेकिन बजरंगा, रामनाथ के गोद चला गया था। हीरा, बिरधा के गोद चला गया। यह सही है कि हीरा के कोई वारिस नही था। इसलिए रामनारायण को गोद लिया था। यह सही है कि गोविन्दी बजरंगा की बेटी है। गोविन्दी बजरंगा की बेटी तो है, लेकिन हीरा की जमीन की कोई हकदार नही है। यह कहना गलत है कि जमीन पर सोनू काबिज हो। बल्कि रामनारायण काबिज है।" कालू बलाई पुत्र बरधा जाति बलाई निवासी ग्राम जयकिशनपुरा ने अपने शपथ पत्र पी.डब्ल्यू.–4 की जिरह में कथन किया कि " यह कहना सही है कि मै बिरधा व उनकी पत्नि तुलसा को जानता हूँ। यह कहना सही है कि बिरधा के कोई औलाद नही थी। बल्कि बिरधा ने हिरा को अपने पास रख लिया था तथा हीरा ने ही उनकी सेवा की थी। यह कहना सही है कि मै 30 वर्षों तक बजरंगा पुत्र रामनाथ के हाली रहा तथा कृषि कार्य व जानवरो की देखभाल करता रहा। यह कहना सही है कि मैने बिरधा व गणेश की जमीन पर गोविन्दी का कभी कब्जा नही था। बल्कि हीरा का ही कब्जा था। हीरा की मृत्यु के बाद यह जमीन रामनारायण के कब्जे मे है।" बद्री गुर्जर पुत्र मोतीलाल गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ग्राम कांवरो की ढाणी, जयकिशनपुरा ने अपने शपथ पत्र पी.डब्ल्यू.–5 की जिरह में कथन किया कि "यह कहना सही है कि गणेश के दो पुत्र बजरंगा व हीरा थे। यह कहना सही हैं कि गणेश की जमीन पर हीरा काबिज था। यह कहना सही है कि बजरंगा, रामनाथ के गोद चला गया था। यह कहना सही है कि हीरा के भी कोई वारिस नही था। हीरा ने रामनारायण को गोद लिया था। यह कहना गलत हैं कि गणेश व बिरधा की जमीन पर सोनू व गोविन्दी काबिज रहे थे। बल्कि कभी काबिज नहीं रहे। यह कहना सही हैं कि मैने इस जमीन पर 04 साल आधोली पर खेती की थी। आधी फसल हीरा या उनके पुत्र रामनारायण को देता था।" बरधु पुत्र हरिनारायण जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम जयकिशनपुरा ने अपने शपथ पत्र पी.डब्ल्यू.–6 की जिरह में कथन किया कि "यह कहना सही हैं कि गणेश के दो बेटे थे। गणेश के एक बेटे का नाम बजरंगा था। दूसरे का नाम हीरा था। यह कहना सही है कि बजरंगा, रामनाथ के गोद चला गया था। यह कहना सही है कि हीरा के कोई वारिस नही था। हीरा ने रामनारायण को गोद लिया था। यह कहना सही है कि गणेश व बिरधा की जमीन पर गोविन्दी व सोनू का कभी कब्जा नही रहा। बल्कि हीरा व रामनारायण का ही था। मैने अपने जन्म से ही बजरंगा को रामनाथ के घर पर रहते ही देखा था। यह कहना सही हैं कि बिरधा व तुलसा का पिण्डदान व पगडी दस्तुर हीरा ने ही किया था।"

पत्रावली न्यायालय राजस्व अधिकारी, टोंक के अपील संख्या 79/2015 में निर्णय दिनांक 20.12.2016 द्वारा प्रतिप्रेषित की जाकर पक्षकारो को मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् उभयपक्ष की बहस सुनकर विधि सम्मत् निर्णय पारित करने हेतु प्राप्त हुई है। प्रतिवादी संख्या 01, 02, 05 व 06 के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश किया गया। विवाद्यक बिन्दु कायम किए जाकर वादी की साक्ष्य पश्चात पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादीगण हेतु नियत की गई। प्रतिवादीगण को अनेक अवसर दिए जाने के बाद भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर साक्ष्य प्रतिवादीगण बंद की जाकर प्रतिवादी संख्या 02, 03 व 04 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 01, 05, 06 व 07 के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

अधिवक्ता वादी ने दौराने बहस बताया कि वादी ने अपने वाद को दस्तावेजी तथा मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित किया है। जबकि प्रतिवादी ने अपने जवाब दावे को किसी भी मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं किया है। वादी के साक्ष्य से जिरह भी नहीं की तथा ना ही अपनी तरफ से कोई साक्ष्य पेश किया है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष वाद को डिक्री किए जाने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं रहता है। अधिवक्ता वादी ने बहस में निवेदन किया कि वाद के चरण संख्या 1 में वर्णित विवादित अराजी कुल किता 26 रकबा 43–19 बीघा ग्राम जयसिंहपुरा पूर्व में तुलसा बेवा बिरदा जाति ब्राह्मण की खातेदारी भूमि थी। तुलसा बेवा बिरदा वादी हीरा की चाची थी, जो उसके कोई जाईन्दा पुत्र व वारिस नहीं होने के कारण वादी के पास ही रहा करती थी। वादी तुलसा के गोद गया था तथा उसके पास पुत्र की तरह रहता था। वादी ने ही उसकी सेवा की अंतिम संस्कार किया तथा पगडी दस्तुर भी वादी के ही हुआ था। वादी द्वारा पेश किये गये विकास अधिकारी पंचायत समिति टोंक द्वारा जारी परिवार कार्ड सन् 1986 (प्रदर्श 11) में हीरालाल शर्मा स्वयं के साथ पत्नि के रूप में श्रीमति छोटी व मां के रूप में श्रीमति तुलसी का नाम दर्ज है। नामान्तरण संख्या 893 दिनांक 22.02.2010 द्वारा उक्त भूमि तुलसा के वारिसान के रूप में वादी हीरा पुत्र गणेश के नाम रिकार्ड में दर्ज हुई थी किन्तु प्रतिवादी संख्या 01 ने चालाकी से राजस्व कर्मचारीयों से मिलीभगत कर उक्त नामान्तरण में अपना 1/2 हिस्सा भी दर्ज करवा लिया। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 गोविन्दी के पिता बजरंगा रामनाथ के गोद चले गए थे तथा रामनाथ की विरासत से रामनाथ की भूमि भी प्राप्त कर ली। साक्ष्य स्वरूप जमाबन्दी सम्वंत 2037–40 (प्रदर्श 5) में रामनाथ के अन्य वारिसों के साथ बजरंगा पि0मु0 रामनाथ दर्ज है। इस भूमि में नामान्तरण संख्या 168 (प्रदर्श 6) द्वारा रामनाथ के गोद पुत्र के रूप में बजरंगा का नाम दर्ज किया गया। इस संबंध में रामनाथ की पत्नि छगनी देवी द्वारा निष्पादित एक अधिकार पत्र महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसके अनुसार अपने पति से प्राप्त होने वाली सारी चल अचल संपत्ति का अधिकार अपने भतीजे बजरंगलाल पुत्र गणेशलाल को दिया गया है। अधिकार पत्र में छगनी देवी ने अपनी चारो पुत्रियों सुन्दर देवी, गेंदी देवी, फूला देवी, प्रेम देवी को संपत्ति में कोई अधिकार नहीं दिया है। अपने पुत्र जगदीश पिता रामनाथ को पूर्व से ही फौत बताया है। अपने मृत्त पुत्र जगदीश की पत्नि सरजू देवी तथा स्वयं को अपने भतीजे बजरंगलाल के पास ही रहना बताया हैं। इस प्रकार छगनी देवी के उक्त अधिकार पत्र से गोविन्दी का पिता बजरंगा, रामनाथ का दत्तक पुत्र सिद्ध होता है। रामनाथ की पुत्रियों सुन्दर, गेन्दी व फूला द्वारा उक्त भूमि कुल किता 11 रकबा 34–14 बीघा ग्राम जयकिशनपुरा का पैत्रृक भूमि के रूप में अपने भाई बजरंगा पि0मु0 रामनाथ के पक्ष में हकत्याग पत्र उपपंजीयक पीपलू के समक्ष दिनांक 16.12.2004 को विधिवत् पंजीबद्ध करवाया है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू में एक अन्य दावा प्रकरण संख्या 131/11 उनवानी गोविन्दी बनाम सरजू बेवा जगदीश व अन्य बाबत् उद्घोषणा में गोविन्दी ने स्वयं को बजरंगा गोद पुत्र रामनाथ का एकमात्र वारिस स्वयं को बताया हैं। एक अन्य दावे प्रकरण संख्या 72/2013 उनवानी रामकरण पुत्र गेन्दी व अन्य बनाम गोविन्दी पुत्री बजरंगा व अन्य बाबत् उद्घोषणा के जवाब में गोविन्दी ने स्वयं को रामनाथ से जरिये विरासत प्राप्त संपत्ति का एकमात्र वारिस बताया हैं। ऐसी स्थिति में विवादित अराजी में बजरंगा व उसकी पुत्री गोविन्दी का किसी तरह कोई अधिकार नहीं बनता है। अतः गोविन्दी द्वारा अपने नाम किए गए अवैध अंकन के

उप खण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

पर दर्ज 1/2 हिस्से की भूमि का बिना कब्जे के प्रतिवादी संख्या 02 को किया गया विक्रय अवैध तथा शून्य है। प्रतिवादी संख्या 01 गोविन्दी द्वारा वाद के खण्डन हेतु अनेक अवसर देने के बाद कोई जवाब पेश नहीं किया गया। अतः वाद डिक्री किए जाने योग्य है।

अधिवक्ता वादी ने बहस में बताया कि गोविन्दी के हिस्से के क्रेता प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा पेश किए गए जवाब निराधार तथा महत्त्वहीन है। मुख्य विवाद वादी तथा प्रतिवादी संख्या 01 के बीच में है इसलिए प्रतिवादी संख्या 01 के डिफेन्स में प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा दिया गया जवाब चलने योग्य नहीं है। अधिवक्ता वादी ने न्यायिक नजीर आर.बी.जे. 2012 पेज 774 पेश कर निवेदन किया कि यदि प्रतिवादी अपना जवाब प्रस्तुत कर वाद का खण्डन नहीं करे तो माननीय न्यायालय को दावा स्वीकार कर लेना चाहिए। अधिवक्ता वादी ने बहस में कथन किया कि राजस्व रिकार्ड में अवैध अंकन के आधार पर निष्पादित करवाए गए विक्रय पत्र का कोई विधिक महत्त्व नहीं है। इस प्रकार के प्रारम्भतः ही शून्य विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय से निरस्त करवाने की आवश्यकता नहीं है। राजस्व न्यायालय ही विवादित अराजी में हक अधिकारों की घोषणा कर सकता है। राजस्व न्यायालय को ही विक्रय पत्र को अवैध एवं शून्य घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। अधिवक्ता वादी ने अपने तर्क के समर्थन में न्यायिक नजीरें आरएलडब्ल्यू 2012 (4) पेज 2932, आरबीजे 2000 पेज 396, आरबीजे 2010 पेज 207 तथा आरबीजे 2018 पेज 693 प्रस्तुत की। बिना कब्जे काश्त के प्रतिवादी संख्या 2 ने विवादित अराजी में से खसरा नम्बर 251 का विक्रय प्रतिवादी संख्या 5 व 6 को कर दिया, जो कि कानूनी रूप से अवैध है। प्रतिवादी संख्या 2 को उक्त अराजी के विक्रय का अधिकार नहीं था इसलिए वादग्रस्त अराजी खसरा नम्बर 251 में नवीन क्रेता प्रतिवादी संख्या 5 व 6 को कोई हक अधिकार प्राप्त होना नहीं माना जा सकता। अपने इस तर्क के समर्थन में अधिवक्ता वादी ने न्यायिक नजीरें आरआरटी 2013 (2) पेज 1028, आरबीजे 2006 पेज 671, आरबीजे 2011 पेज 126 तथा आर.एल.डब्ल्यू. 2006 (2) पेज संख्या 1150 पेश की।

अधिवक्ता वादी ने बहस में निवेदन किया कि वादी ने मौखिक साक्ष्यों से भी अपने वाद पत्र के तथ्यों तथा विवादित भूमि पर अपने कब्जे को सिद्ध किया है जिसका प्रतिवादीगण द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है। पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी प्रदर्श 3 व 5, नामान्तरण प्रदर्श 6, छगनी के अधिकार पत्र तथा बयानों से यह प्रमाणित होता है कि बजरंगा रामनाथ के यहां गोद चला गया था इसलिए उसे तुलसा की विरासत में हिस्सा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था। लिहाजा बजरंगा की पुत्री गोविन्दी का हिस्सा भी रामनाथ की विरासत में ही होगा। अतः प्रतिवादी संख्या 1 गोविन्दी द्वारा तुलसा की विरासत में नाम दर्ज करवाना तथा उसके आधार पर विवादित भूमि का विक्रय पत्र पंजीयन करवाना वादी के हितों के प्रति शून्य तथा प्रभावहीन है। वादी का दौराने वाद निधन हो चुका है तथा उसके स्थान पर उसके वारिसों को रिकार्ड पर लिया जा चुका है, जो कि वादी संख्या 1/1 व 1/2 हैं। वादी संख्या 1/1 छोटा देवी वादी हीरा की पत्नी है तथा वादी संख्या 1/2 रामनारायण का दत्तक पुत्र है, जिसका गोदनामा उपपंजीयक पीपलू के समक्ष दस्तावेज क्रमांक 202103066400013 पर दिनांक 13.12.2021 को पंजीबद्ध किया गया है। इस पंजीबद्ध गोदनामें के अनुसार हीरा द्वारा रामनारायण को

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

सुदी पूर्णिमा के दिन विक्रम सम्वत् 2036 में लगभग 10–11 वर्ष की उम्र में समाज व परिवारजनों की मौजूदगी में सभी रस्में रिवाज पूरी कर गोद लिया गया था। अतः दावा डिक्री किया जाकर वादी को खाता संख्या 349 की भूमि का खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाए।

प्रतिवादी संख्या 01 के अधिवक्ता ने बहस में बताया कि मृतक तुलसा बेवा बिरदा की विरासत में नामान्तरण संख्या 893 द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 गोविन्दी का 1/2 हिस्सा माना गया है। उक्त नामान्तरण की वादी द्वारा अभी तक कोई अपील नही की गई है इसलिए उसे अपने हिस्से मे दर्ज भूमि को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। केवल पगड़ी बन्धने से बिरदा व तुलसा की सम्पत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। अतः वादी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपने हिस्से की भूमि का बेचान किया जा चुका है। जब तक विक्रय पत्र सक्षम न्यायालय से निरस्त नही करवाते तब तक वादी को विक्रय की जा चुकी भूमि में कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। अतः वादी का दावा खारिज किया जावें।

प्रतिवादी संख्या 05 व 06 के अधिवक्ता ने बहस में बताया कि विवादित आराजीयात में से प्रतिवादी संख्या 05 व 06 ने प्रतिवादी संख्या 02 से ख0न0 251 का 1/2 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद किया है। अतः उन्हे भूमियों को अपने नाम अंकित करवाकर पृथक से खाता कायम करवाने का हक है। इस विक्रय पत्र का नामान्तकरण नही होने के कारण रिकॉर्ड में अंकन नहीं हुआ हैं। अतः विक्रय पत्र के आधार पर दावा खारिज किया जावे।

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 07 ने बहस में निवेदन किया की विवादित आराजीयात में तत्कालीन खातेदार गोविन्दी पुत्री बजरंगा का अवैध रूप से हिस्सा दर्ज था। जिसका विक्रयपत्र बिना कब्जे तथा प्रतिफल के प्रतिवादी संख्या 02 के हक मे करवाया जाना विधिक रूप से वादीगणो के हितो के विरूद्ध प्रभावहीन है। प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा विवादित आराजीयात में से ख0न0 251 ग्राम जयकिशनपुरा में अपने 1/2 त्रुटीपूर्ण क्रयशुद्धा हिस्से का बेचान प्रतिवादी संख्या 05 व 06 को किया जाना भी अवैध तथा बनावटी विक्रय की श्रेणी मे आता है। बिना कब्जे काश्त के प्रतिवादी संख्या 02, 05 व 06 विवादित भूमि में से कोई हक अधिकार प्राप्त करने योग्य नहीं है। नामान्तकरण संख्या 168 में रामनाथ के गोदपुत्र के रूप में बजरंगा का नाम दर्ज किया गया है। जिसकी विरासत के रूप में उसकी पुत्री गोविन्दी का नामान्तकरण संख्या 168 की भूमि कुल किता 11 रकबा 34–14 बीघा में ही अधिकार बनता है। बजरंगा की पुत्री गोविन्दी का विवादित भूमि में कोई अधिकार नहीं बनता है। अतः दावा स्वीकार फरमाया जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्राप्त साक्ष्य तथा बहस के सन्दर्भ में वाद में कायम किए गए विवाद्यक बिन्दु निम्नानुसार तय किए गए :–

उप खण्ड अधिकारी
दीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

आया वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् खाता संख्या 349 कुल किता 26 कुल रकबा 43–19 बीघा वाके ग्राम जयकिशनपुरा का प्रतिवादी संख्या 2 का नाम हटाया जाकर 1/2 हिस्से का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने का अधिकारी है एवं प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने का अधिकारी है।

वाद के चरण संख्या 1 में वर्णित विवादित अराजी कुल किता 26 रकबा 43–19 बीघा ग्राम जयकिशनपुरा पूर्व में तुलसा बेवा बिरदा जाति ब्राह्मण की खातेदारी भूमि थी। नामान्तरण संख्या 893 दिनांक 22.02.2010 द्वारा उक्त भूमि तुलसा के वारिसान के रूप में वादी हीरा पुत्र गणेश के नाम हिस्सा 1/2 रिकार्ड में दर्ज हुई थी। साक्ष्य तथा बहस से जाहिर होता है कि प्रतिवादी संख्या 1 गोविन्दी के पिता बजरंगा रामनाथ के गोद चले गए थे तथा जरिए नामान्तरण संख्या 168 रामनाथ की मृत्यु पर विरासत से रामनाथ की भूमि में अपना हिस्सा प्राप्त कर लिया था। जमाबन्दी सम्वंत 2037–40 (प्रदर्श 5) में रामनाथ के अन्य वारिसों के साथ बजरंगा पि0मु0 रामनाथ दर्ज है। इस भूमि में नामान्तरण संख्या 168 (प्रदर्श 6) द्वारा कुल किता 11 रकबा 34–14 बीघा भूमि में रामनाथ के गोद पुत्र के रूप में बजरंगा का नाम दर्ज किया गया। नामान्तरण संख्या 893 में यह भी उल्लेख नहीं है कि गोविन्दी को नाम तुलसा की विरासत में किस हैसियत से दर्ज किया गया है। ऐसी स्थिति में विवादित अराजी ने बजरंगा व उसकी पुत्री गोविन्दी का किसी तरह कोई अधिकार नहीं बनता है। अतः वादीगण प्रतिवादी संख्या 2 के 1/2 हिस्से में स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी पाए जाते हैं। इस प्रकार उक्त विवाद्यक बिन्दु प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादीगण के पक्ष में तय किया जाता है।

2. आया दौराने वाद प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 5, 6 के हक में किया गया विक्रय पत्र दिनांक 03.07.2020 वादी के हितो के प्रति प्रभावशून्य है और वादी के विक्रयपत्र को अकृत एवं शून्य घोषित करवाने का अधिकारी है।

गोविन्दी के पिता बजरंगा ने नामान्तरण संख्या 168 द्वारा रामनाथ की मृत्यु पर विरासत से रामनाथ की भूमि में अपना हिस्सा प्राप्त कर लिया था। जमाबन्दी सम्वंत 2037–40 (प्रदर्श 5) में रामनाथ के अन्य वारिसों के साथ बजरंगा पि0मु0 रामनाथ दर्ज है। इस भूमि में नामान्तरण संख्या 168 (प्रदर्श 6) द्वारा रामनाथ के गोद पुत्र के रूप में बजरंगा का नाम दर्ज किया गया। ऐसी स्थिति में रामनाथ के हिस्से की उक्त भूमि के अतिरिक्त विवादित अराजी मे बजरंगा व उसकी पुत्री गोविन्दी का किसी तरह कोई अधिकार नहीं बनता है। राजस्व रिकार्ड में त्रुटीपूर्ण अंकन के आधार पर निष्पादित करवाए गए विक्रय पत्र का कोई विधिक महत्त्व नहीं है तथा उसके आधार पर किसी प्रकार के अधिकार सृजित नहीं होते है। अतः प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा प्रतिवादी संख्या 05 व 06 के हक में किया गया पश्चात्वर्ती विक्रय वादी के हितों के प्रति प्रभावशून्य प्रमाणित होता है। इस प्रकार उक्त विवाद्यक बिन्दु प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादीगण के पक्ष में तय किया जाता है।

3. आया प्रतिवादीगण वर्णित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की थी। जिससे जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.07.2017 को क्रय कर मौका पर कब्जा प्राप्त कर आज तक काश्त चले हा रहे है। विक्रय पत्र पर रजिस्टर्ड है।

उप खण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

सिविल न्यायालय से निरस्त कराये बिना वादी को खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता है। दावा प्रतिवादीगण को परेशान करने की नियत से परेशान किया है। अतः दावा खारिज फरमाया जावे।

नामान्तरण संख्या 893 द्वारा तुलसा बेवा बिरदा की खातेदारी भूमि कुल खसरा किता 27 रकबा 44–16 बीघा वादी हीरा व प्रतिवादी संख्या 01 गोविन्दी के नाम हिस्सा बराबर दर्ज हुआ। किन्तु गोविन्दी के पिता बजरंगा ने नामान्तरण संख्या 168 द्वारा रामनाथ की मृत्यु पर विरासत से रामनाथ की भूमि में अपना हिस्सा प्राप्त कर लिया था। जमाबन्दी सम्वंत 2037–40 (प्रदर्श 5) में रामनाथ के अन्य वारिसों के साथ बजरंगा पि0मु0 रामनाथ दर्ज है। इस भूमि में नामान्तरण संख्या 168 (प्रदर्श 6) द्वारा रामनाथ के गोद पुत्र के रूप में बजरंगा का नाम दर्ज किया गया। ऐसी स्थिति में रामनाथ के हिस्से की उक्त भूमि के अतिरिक्त विवादित अराजी में बजरंगा व उसकी पुत्री गोविन्दी का किसी तरह कोई अधिकार नहीं बनता है। राजस्व रिकार्ड में त्रुटीपूर्ण अंकन के आधार पर निष्पादित करवाए गए विक्रय पत्र का कोई विधिक महत्त्व नहीं है। अतः प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 के हक में किया गया विक्रय वादी के हितों के प्रति प्रभावशून्य प्रमाणित होता है। इस प्रकार उक्त विवाद्यक बिन्दु प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

4. आया विक्रय पत्र तत्कालीन खातेदार से करवाकर प्रतिवादी संख्या 02 ने खातेदारी प्राप्त की है। प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा प्रतिवादी संख्या 05 व 06 को किया गया बेचान सही है। विक्रय पत्र को अकृत एवं शून्य घोषित किए जाने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त न होकर सिविल न्यायालय को प्राप्त है।

नामान्तरण संख्या 893 द्वारा तुलसा बेवा बिरदा की खातेदारी भूमि कुल खसरा किता 27 रकबा 44–16 बीघा वादी हीरा व प्रतिवादी संख्या गोविन्दी के नाम हिस्सा बराबर दर्ज हुआ। किन्तु गोविन्दी के पिता बजरंगा ने नामान्तरण संख्या 168 द्वारा रामनाथ की मृत्यु पर विरासत से रामनाथ की भूमि में अपना हिस्सा प्राप्त कर लिया था। जमाबन्दी सम्वंत 2037–40 (प्रदर्श 5) में रामनाथ के अन्य वारिसों के साथ बजरंगा पि0मु0 रामनाथ दर्ज है। इस भूमि में नामान्तरण संख्या 168 (प्रदर्श 6) द्वारा रामनाथ के गोद पुत्र के रूप में बजरंगा का नाम दर्ज किया गया। ऐसी स्थिति में रामनाथ के हिस्से की उक्त भूमि के अतिरिक्त विवादित अराजी में बजरंगा व उसकी पुत्री गोविन्दी का किसी तरह कोई अधिकार नहीं बनता है। राजस्व रिकार्ड में त्रुटीपूर्ण अंकन के आधार पर निष्पादित करवाए गए विक्रय पत्र का कोई विधिक महत्त्व नहीं है। अतः प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 के हक में किया गया विक्रय वादी के हितों के प्रति प्रभावशून्य प्रमाणित होता है। परिणाम स्वरूप प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा प्रतिवादी संख्या 05 व 06 के हक में किया गया पश्चात्वर्ती विक्रय वादी के हितों के प्रति स्वतः ही प्रभावशून्य प्रमाणित होता है। पंजीबद्ध विक्रय पत्र को निरस्त किए जाने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है। किन्तु त्रुटीपूर्ण राजस्व रिकार्ड के आधार पर निष्पादित करवाए गए विक्रय पत्र के अनुसार खातेदारी उदघोषणा किया जाना भी न्यायसंगत नहीं है। इस प्रकार उक्त विवाद्यक बिन्दु प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादीगण के पक्ष में तय किया जाता है।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

इस प्रकार उपरोक्तानुसार तनकीवार विवेचन से स्पष्ट है कि नामान्तरण संख्या 893 द्वारा तुलसा बेवा बिरदा की खातेदारी भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 के खाता संख्या 349 में कुल खसरा किता 26 रकबा 43–19 बीघा वादी हीरा व प्रतिवादी संख्या गोविन्दी के नाम हिस्सा बराबर दर्ज हुआ। किन्तु गोविन्दी के पिता बजरंगा ने नामान्तरण संख्या 168 द्वारा रामनाथ की मृत्यु पर विरासत से रामनाथ की भूमि में भी अपना हिस्सा प्राप्त कर लिया था। जमाबन्दी सम्वत 2037–40 में रामनाथ के अन्य वारिसों के साथ बजरंगा पि0मु0 रामनाथ दर्ज है। इस भूमि में नामान्तरण संख्या 168 से संबंधित कुल किता 11 रकबा 34–14 बीघा द्वारा रामनाथ के गोद पुत्र के रूप में बजरंगा का नाम दर्ज किया गया। छगनी देवी के अधिकार पत्र से गोविन्दी का पिता बजरंगा, रामनाथ का दत्तक पुत्र सिद्ध होता है। रामनाथ की पुत्रियों सुन्दर, गेन्दी व फूला द्वारा उक्त भूमि कुल किता 11 रकबा 34–14 बीघा ग्राम जयकिशनपुरा का पैत्रक भूमि के रूप में अपने भाई बजरंगा पि0मु0 रामनाथ के पक्ष में हकत्याग पत्र उपपंजीयक पीपलू के समक्ष दिनांक 16.12.2004 को विधिवत् पंजीबद्ध करवाया है। ऐसी स्थिति में रामनाथ के हिस्से की उक्त भूमि के अतिरिक्त विवादित अराजी में बजरंगा व उसकी पुत्री गोविन्दी का किसी तरह कोई अधिकार नहीं बनता है। राजस्व रिकार्ड में त्रुटीपूर्ण अंकन के आधार पर निष्पादित करवाए गए विक्रय पत्र का कोई विधिक महत्त्व नहीं है। अतः प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 के हक में किया गया विक्रय वादी के हितों के प्रति प्रभावशून्य प्रमाणित होता है। परिणाम स्वरूप प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा प्रतिवादी संख्या 05 व 06 के हक में किया गया पश्चात्वर्ती विक्रय वादी के हितों के प्रति स्वतः ही प्रभावशून्य प्रमाणित होता है। वादी के पक्ष में प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र के प्रतिवादी द्वारा जिरह नहीं किए जाने से उनका कोई खण्डन नहीं होता है। लिहाजा वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों तथा न्यायिक नजीरों के अवलोकन पश्चात् वाद वादी प्रमाणित होने से स्वीकार कर डिक्री किया जाता है। अतः वाद पत्र के पेरा संख्या 10–अ में अंकित खाता संख्या 349 किता 26 कुल रकबा 43–19 बीघा वाके ग्राम जयकिशनपुरा में प्रतिवादी संख्या 02, 05 व 06 के स्थान पर वादी छोटी देवी पत्नी हीरा जाति ब्राह्मण व रामनारायण दत्तक पुत्र हीरा जाति ब्राह्मण निवासी जयकिशनपुरा को हिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। साथ ही प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में दखलांदाजी तथा मजामहत नहीं करें। निर्णय आज दिनांक 28.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं नियमानुसार दफ्तर दाखिल हो।

(रवि वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
(राज0)

Scanned with CamScanner